

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100383

दिनांक: 05/12/2025

लोक सूचना

श्रीमति **KANCHAN SHARMA** पत्नी श्री **AMRISH SHARMA** जाति **BRAHMAN** निवासी **50, PANCHAWATI NAGAR, WARD NO. 29, KESHVPURA, JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	केशोपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) कंचन शर्मा पत्नि अमरीश शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट संख्या 50 पंचवटी नगर घासी बाबा की ढाणी ग्राम केशोपुरा तहसील साँगानेर खातेदार	1152/1144	0.12	0.12
कुल					0.12

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Jaipur Development Authority (JDA)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-12-2025** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

